

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 01/2015
संस्थित दिनांक-16/09/2002
फाईलिंग नंबर-230303000182002

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रु द्ध

कल्लू खॉ उर्फ करू पुत्र बाबू खॉ मुसलमान
उम्र 33 साल निवासी बड़ा बाजार गोहद

-----अभियुक्त

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपी कल्लूखॉ उर्फ करू द्वारा श्री गंभीरसिंह निगम अधिवक्ता

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 13/01/2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त कल्लूखॉ उर्फ करू के विरुद्ध धारा 392/34, 394/34, 397/34, 307/34 भादवि सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दि.-19/04/2002 को रात करीब 8:20 बजे ग्राम बिरखडी के पास भिण्ड ग्वालियर लोक मार्ग अंतर्गत थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में गुजराती ट्रेवल्स की बस को रोककर यात्री अशोक जैन को तत्काली मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के भय में डालकर उसके आधिपत्य से 1,20,000/-रूपये नगदी रूपयों की लूट कारित की एवं आहतगण अशोक जैन व प्रवीण भटनागर को स्वेच्छया उपहति कारित की एवं उसने घातक आयुध आग्नेयास्त्र का उपयोग कर अशोक जैन को घोर उपहति कारित की तथा फरियादी अशोक पर आग्नेयास्त्र कटटा से फायर किया कि यदि उक्त कटटे की गोली उसको लगती तो तुम अशोक जैन की मृत्यु कारित के लिए हत्या के दोषी होते ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि सहअभियुक्तगण रवी कटारे व रिकू शुक्ला के संबंध में निर्णय दि.-15/10/2014 को किया जा चुका है, जिसके मुताबिक उक्त दोनों आरोपीगण दोषमुक्त किए गये हैं एवं अन्य सह अभियुक्त अनिल उर्फ भूरा बिरथरिया के संबंध में दिनांक 21.05.15 को निर्णय पारित किया जा चुका है और वह भी उक्त प्रकरण में दोषमुक्त हो चुका है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि अशोक जैन शंकर बीडी की सप्लाई का कार्य गोहद व गोहद चौराहा में करता था । दि.-19/4/2002 को अशोक सुबह भिण्ड से गोहद चौराहा आया व दुकानदारों दयाराम, अशोक से 4100 रुपये,

गिरिराज पाने भंडार से 7650 रुपये, रामनिवास, मोहनलाल से 20950 रुपये, संजय मुनीष से 24030 रुपये, दिनेश किराना से 4190 रुपये, अमित पान भण्डार से 1048 रुपये तथा अन्य दुकानदारों से भी रुपये लेकर गुजराती ट्रेवल्स की बस क्र.-एम.पी.-30 एफ-009 में गोहद चौराहे से भिण्ड की ओर आ रहा था, बिरखडी तिराहे पर कुछ सवारियां बस से उतरतीं तब बस के नीचे खड़े एक लड़के ने कट्टे से फायर किया जो बस के शीशे में लगा तथा दूसरे ने फायर किया जो अशोक के पेट पर लगा, जिससे खून निकलने लगा । बदमाश संख्या में 4 थे जिनहोंने 4-5 फायर किए तथा उसका रूपयों का थैला जबरदस्ती छुड़ा ले गये । प्रवीण के भी छर्ने लगे थे, अशोक जैन को इलाज हेतु जिला अस्पताल भिण्ड लाया गया, जिसकी तहरीर सिटी कोतवाली भिण्ड भेजी गयी ।

4. उक्त तहरीर पर से पुलिस कोतवाली भिण्ड में दि.-19/4/2002 को 22:15 बजे अप.क्र.-0/02 प्रदर्श पी.-27 पंजीबद्ध किया गया तथा अपराध गोहद चौराहा क्षेत्र के अंतर्गत होने से असल कायमी हेतु थाना गोहद चौराहा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिसपर से थाना गोहद चौराहा पर दि.-20/04/2002 को 08:10 बजे अप.क्र.-42/2002 धारा-394, 307, 397 भादवि एवं धारा-11, 13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.-28 लेखबद्ध की गयी एवं विवेचना के दौरान नक्शामौका, जप्ती व आरोपी की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया ।

5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध के विरुद्ध धारा 392/34, 394/34, 397/34, 307/34 भादवि सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है । उसकी ओर से कोई बचाव नहीं दी गयी है ।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- 1- क्या आरोपी कल्लूखों उर्फ करु के द्वारा दि.-19/4/2002 की रात करीब 8:20 बजे भिण्ड ग्वालियर लोकमार्ग पर ग्राम बिरखडी के पास अंतर्गत थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में सामान्य आशय से गुजराती ट्रेवल्स की बस रोककर अशोक जैन से 1,20,000/-रुपये नगदी रूपयों की लूट कारित की गयी ?
- 2- क्या आरोपी कल्लूखों उर्फ करु के द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर अशोक जैन व प्रवीण भटनागर से लूट कारित करने में स्वेच्छया उपहति कारित की गयी ?
- 3- क्या, आरोपी कल्लूखों उर्फ करु के द्वारा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर लूट कारित करते समय घातक आयुध आग्नेयास्त्र का उपयोग कर अशोक जैन को घोर उपहति कारित की गयी ?
- 4- क्या, आरोपी कल्लूखों उर्फ करु द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर अशोक जैन की मृत्यु का प्रयत्न करते हुए लूट कारित की ?

—::—निष्कर्ष के आधार —::—**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 लगायत-04 का निराकरण**

7. उक्त चारों विचारणीय बिंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए सभी का एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
8. विचाराधीन आरोपी कल्लूखॉ उर्फ करू के विचारण में अ0सा0-1 लगायत 26 तक की साक्ष्य उसकी उपस्थिति में हुई है। डॉ0 ए0के0 सक्सेना अ0सा0-27 की अभिसाक्ष्य उक्त विचाराधीन आरोपी कल्लू खॉ के फरार घोषित हो जाने के पश्चात अभियोजन की ओर से कराई गई है जिसके संबंध में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा डॉ0 ए0के0 सक्सेना को पुनः आहूत न करने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उक्त चिकित्सक द्वारा आहत अशोक का मेडिकल परीक्षण किया गया था और विचाराधीन आरोपी के संबंध में कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं करानी है। आरोपी कल्लू खॉ उर्फ कल्लू की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने उक्त चिकित्सक को पुनः प्रति परीक्षा के लिये पुनः आहूत न कराना व्यक्त किया। धारा-217 द0प्र0सं0 के उपबंध को देखते हुए अ0सा0-27 को पुनः आहूत कराने की आवश्यकता नहीं है और उसका अभिसाक्ष्य विचाराधीन आरोपी के संबंध में यथावत साक्ष्य के मूल्यांकन में लिया जा सकता है जिसे आगे विश्लेषण में लिया जावेगा।
9. परीक्षित साक्षियों में से डॉ0 ए0के0 सक्सेना अ0सा0-27 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 19.04.02 को जिला चिकित्सालय भिण्ड में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए अशोक जैन पुत्र धर्मचंद जैन एवं प्रवीण भटनागर पुत्र चंद्र नारायण भटनागर की चोटों का मेडिकल परीक्षण करना बताते हुए अशोक जैन से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट प्र0पी0-30 एवं प्रवीण भटनागर की मेडिकल रिपोर्ट प्र0पी0-31 तैयार करना बताया है। और अशोक जैन के शरीर पर पांच चोटें बताई हैं जिनमें बाईं तरफ छाती के नीचे मध्य एवं पोस्टीरियल एक्जीलियरी लाईन में बीच में घाव 1 इंच गुणित 3/4 इंच जिसके आस पास 3 गुणित 3 इंच के एरिया में टेटुइंग मौजूद था और छाती एवं पेट तक थी तथा गर्दन के पीछे की तरफ दांयी ओर आधा गुणित आधा इंच का पक्चर्ड (कुचला हुआ घाव), चेहरे के दांयी तरफ टैटुइंग तथा 2 गुणित आधा इंच का खुला हुआ घाव, दांयी अग्र भुजा के बाहरी तरफ थी। आधा गुणित 1/4 इंच का एक पक्चर्ड घाव पाया था। सभी चोटों से रक्त स्राव हो रहा था तथा चोट क्र0-1 व 5 के आसपास ब्लैक्निंग थी। अशोक जैन की चोट आग्नेय शस्त्र से पहुंचाई गई थी जो परीक्षण से 24 घण्टे के भीतर की थी जिनकी उसने एकसरे परीक्षण की सलाह देते हुए रिफर भी किया गया था और अग्रिम उपचार के लिये जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर रिफर किया था तथा अशोक जैन के पहने हुए कपड़े सील्ड कर आरक्षक को दिये थे। उसकी चोटें बारूद के फटने से आने की संभावना से इन्कार करते हुए यह कहा है

कि यदि बंदूक साफ करते समय अचानक गोली चल जाये तो उक्त प्रकार की चोट संभावित है। किन्तु आहत अशोक को जिस प्रकार की चोटें आई थीं वह बंदूक साफ करते समय भी गोली से नहीं आ सकती है।

10. उक्त चिकित्सक ने प्रवीण भटनागर के संबंध में यह बताया है कि प्रवीण भटनागर की बाईं भुजा एवं अग्र भुजा में विभिन्न छोटे-छोटे लाल व काले टैटुइंग के निशान मौजूद थे जो बारूद के फटने से संभावित हैं।
11. अभियोजन कथानक मुताबिक घटना दिनांक 19.04.02 के रात करीब 8.20 बजे की कथानक मुताबिक बताई है जिससे दोनों आहतों को पाई गई चोटें घटना के समय संभावित होकर आग्नेय शस्त्र से पहुंचना चिकित्सीय साक्ष्य से प्रमाणित होता है। इस संबंध में अन्य परीक्षित चिकित्सक डॉ० सौरभ आतराम अ०सा०-17 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 30.04.02 को जे०ए०एच० हॉस्पिटल ग्वालियर में आर०एम०ओ० के पद पर पदस्थ रहते हुए एकसरे परीक्षण का कार्य करना बताया है और यह कहा है कि उक्त बंदूक को आर०एस०ओ० सर्जरी की रिपोर्ट करने पर पुलिस द्वारा लाये जाने पर उसने आहत अशोक कुमार जैन के पेट, छाती, दाहिनी अग्र भुजा, गर्दन व खोपड़ी का एकसरे परीक्षण किया था जिसमें गर्दन में दाहिनी ओर क्लैवीकल रेडियोऑपिक शैडो व मेटेलिक डेन्सिटी पाई थी। बांये फैंफड़े में गैस पाई थी जिसकी प्र०पी०-18 की एकसरे रिपोर्ट तैयार की थी जिसकी एकसरे रिपोर्ट प्र०पी०-19 है जो संख्या में सात हैं। रिपोर्ट पर उसके ए सेए भाग पर हस्ताक्षर बताये हैं। एकसरे प्लेटों पर डॉ० आर०सी० चक्रवर्ती के हस्ताक्षर बताये गये हैं। उससे उक्त चिकित्सक के अभिसाक्ष्य से भी आहत अशोक कुमार जैन की चोट आग्नेय शस्त्र से उत्पन्न होना प्रकट होती है।
12. अभियोजन कथानक मुताबिक दिनांक 19.04.02 को आरोपी के द्वारा गुजराती बस से आते समय ग्राम बिरखडी के पास भिण्ड ग्वालियर रोड़ पर बस को रोककर लूट सहित उपहति की घटना बताई गई है। इसलिये यह विश्लेषित करना होगा कि क्या विचाराधीन आरोपी कल्लूखों उर्फ करू बताई गई घटना में शामिल रहा और उसके द्वारा घटना में सामान्य आशय के तहत कृत्य किया गया या प्रत्यक्ष कृत्य भी किया गया, यह अन्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विश्लेषित करना होगा।
13. प्रकरण में सर्वाधिक महत्व के साक्षी आहत अशोक कुमार अ०सा०-22 के मुताबिक वह दिनांक 19.04.02 को गोहद से भिण्ड की ओर जा रहा था तब किन लोगों के द्वारा उसे गोली मारकर एक लाख पच्चीस हजार रुपये छुड़ा लिये गये थे। उस समय वह सोना एजेन्सी फर्म में बीड़ी का काम करता था और ग्राहकों से पैसे लेकर भिण्ड जा रहा था। गोहद चौराहे के पास कुछ सवारियाँ उतरी थीं जिनमें से कुछ बदमाश भी उतरे थे जिन्होंने नीचे उतरकर उस पर गोली चलाना शुरू कर दिया था जिससे वह बस में ही गिर गया था और उसका थैला बदमाश उठाकर ले गये थे। फिर वह उसी बस से भिण्ड आया था जहाँ उसका अस्पताल में इलाज हुआ था। चार पांच बदमाश थे जिन्हें वह नहीं देख पाया था। इस साक्षी ने अभियोजन के कथानक मुताबिक समर्थन नहीं किया है और प्र०पी०-23 का पुलिस को कथन देने से इन्कार किया है। इस तरह से उक्त आहत के द्वारा जो अभिसाक्ष्य दिया गया था वह आरोपी कल्लूखों उर्फ करू के विरुद्ध नहीं है।
14. इसके अलावा अन्य आहत प्रवीण भटनागर अ०सा०-21 के रूप में

परीक्षित हुआ है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह एम0पी0ई0बी0 में जूनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थ था और मुरैना से ग्वालियर होकर भिण्ड वापिस आ रहा था। गुजराती ट्रान्सपोर्ट की प्राइवेट बस से वह आ रहा था। रास्ते में गोहदचौराहा पर कुछ सवारियों उतरी थीं। जब बस बिरखड़ी पर आई तब बाहर से दो तीन लोगों ने बस पर फायर किया जो खिडकी के कांच में जाकर लगा। व दो तीन लोग गाड़ी पर चढ़कर अशोक से छीना झपटी करने लगे अंधेरा तथा अशोक के पैसे वे बदमाश छीनकर ले गये। व मारपीट की एवं उसके पेट में छर्रे लगे थे। उसके भी बारूद के छर्रे लगे थे और चोटें आई थीं। अंधेरा होने के कारण जिन लोगों ने गोलियों चलाई वह उन्हें नहीं देख पाया था। उसने हुलिया बयान देते समय बताया है। इस तरह से उक्त साक्षी का भी स्पष्ट अभिसाक्ष्य आरोपी कल्लूखॉ उर्फ करू के संबंध में नहीं आया है।

15. जण्डैल सिंह अ0सा0-1 पूर्व से दोषमुक्त हो चुके आरोपी रिकू के संबंध में मेमोरेण्डम और जप्ती का साक्षी है, उसके विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। परमानंद शर्मा अ0सा0-2 के मुताबिक बस क्रमांक-एम0पी0-30एफ-009 पर वह ड्रायवर था। बस ग्वालियर से गोहद चौराहा तक वह चलाकर लाया था। उसके बाद गोहद चौराहा से कण्डक्टर रायसिंह बस को चलाकर भिण्ड ले गया था क्योंकि उसकी तबियत खराब होने से वह गोहद चौराहा पर रुक गया था और उसे यह जानकारी नहीं है कि रायसिंह अ0सा0-5 ने भी उसका समर्थन करते हुए यह बताया है कि दिनांक 19.04.02 को शाम करीब सात बजे बस ग्वालियर से भिण्ड लेकर आये थे। बिरखड़ी के पास बस में कट्टा चलने की आवाज आई थी और उसने बस को खड़ा कर दिया था और कट्टा चलने की आवाज सुनकर वह बस को छोड़कर भाग गया था और उसने कुछ नहीं देखा कि क्या हुआ? इस बात से उसने इन्कार किया है कि 3-4 बदमाशों को कट्टा से फायर करते हुए देखा था। उसने सुना था कि व्यापारी अशोक जैन से एक लाख बीस हजार रुपये का बैग छीन लिया था। जिस आदमी को गोली लगी थी वह उसे उसी बस में बैठाकर भिण्ड ले गया था। उक्त दोनों साक्षियों के कथन अनुसार इस बात की तो पुष्टि होती है कि गुजराती ट्रान्सपोर्ट क बस ग्वालियर से भिण्ड घटना दिनांक को सवारियों लेकर जा रही थी तब ग्राम बिरखड़ी के पास लोक मार्ग पर बस में आग्नेय शस्त्र से गोली चलने और लूट की घटना हुई थी किन्तु वह घटना किसके द्वारा की गई, या उनमें विचाराधीन आरोपी शामिल था, इस बारे में उनकी कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिये उक्त साक्षियों की अभिसाक्ष्य विचाराधीन आरोपी कल्लूखॉ उर्फ करू के विरुद्ध नहीं पढ़ी जा सकती है।

16. इसी प्रकार मुरारी अ0सा0-3 जो कि गुजराती बस पर हैल्पर के रूप में कार्य कर रहा था, ने भी उक्त दोनों साक्षियों परमानंद व रायसिंह के अनुरूप ही अभिसाक्ष्य में बताया है कि गोहदचौराहा से एक सेठ जी झोले में पैसे रखकर बस में बैठे थे और गुण्डों ने सेठ को गोली मार दी थी और पैसे छुड़ाकर ले गये थे। एवं गोली किसने मारी वह उसे नहीं पहचानता है। इस तरह से उक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य भी आरोपी कल्लूखॉ उर्फ करू के विरुद्ध नहीं हैं।

17. मामा उर्फ विन्द्रावन अ0सा0-9 एवं ओमप्रकाश शर्मा अ0सा0-6 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में केवल इतना कहा है कि घटना के दूसरे दिन उसने ऐसा सुना था कि बिरखड़ी बस स्टेण्ड पर रात में बस की लूट हुई थी। किन्तु उसे और कोई

जानकारी नहीं है कि कितने रुपये की लूट हुई, किसने की। वह नक्शामौका भी पुलिस द्वारा उसके सामने बनाये जाने से इन्कार करता है जो प्र0पी0-25 है।

18. प्र0पी0-25 का नक्शामौका तैयार कर विवेचक महेश श्रीवास्तव अ0सा0-24 के अभिसाक्ष्य से केवल इस बात की ही पुष्टि संभव है कि लूट की घटना भिण्ड ग्वालियर आम रोड़ पर हुई किन्तु किसके द्वारा की गई, यह उससे प्रमाणित नहीं होता है।
19. गणेशकुमार गुप्ता अ0सा0-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में आहत अशोक कुमार जैन को पहचानना बताते हुए कहा है कि वह शंकर बीड़ी व्यवसायी है। उसकी स्वयं की गोहद चौराहा पर दुकान है और अशोक जैन दिनांक 19.04.02 को बीड़ी का पैसा लेने आये थे और उसने 4190/-रुपये का भुगतान अशोक जैन को किया था। गोपालदास अग्रवाल अ0सा0-11 ने अपनी गोहदचौराहा पर अमित पान भण्डार के नाम से दुकान होना, अशोक जैन से बीड़ी खरीदना तथा 1048/-रुपये का भुगतान उसके द्वारा किया जाना, अन्य दुकानदारों से भी अशोक जैन द्वारा रुपये लिये जाना बताया है। संजीव कुमार अ0सा0-13 ने भी अपनी गोहद चौराहा पर किराने की दुकान बताते हुए अशोक जैन से बीड़ी लेना और उसका भुगतान 4100/-रुपये घटना दिनांक को करना कहा है। इसी प्रकार रमेश चन्द्र अ0सा0-14 ने भी 2089/-रुपये का भुगतान अशोक जैन को करना बताया है। उक्त साक्षियों के कथनों से केवल इस बात की पुष्टि होती है कि अशोक कुमार जैन जो घटना में आहत हुआ और जिससे रुपयों की लूट बताई गई है वह बीड़ी का व्यवसायी था और घटना दिनांक को वह अपने विभिन्न ग्राहकों से रुपये वसूली कर भिण्ड की ओर जा रहा था।
20. अशोक अ0सा0-16 ने अपने अभिसाक्ष्य में ग्वालियर से भिण्ड के लिये प्राईवेट बस से आते समय बस गोहद चौराहा पर रुकने और वहाँ कुछ सवारियों के उतरने व कुछ सवारियों का चढना बताते हुए यह कहा है कि वह गोहद चौराहा के बाद में सो गया था। गोली चलने की आवाज पर जागा था। उस समय अंधेरा था। एक व्यक्ति को गोली लगी थी जिसे वह नहीं देख पाया था और उसे कोई जानकारी नहीं है। जिस आदमी को गोली लगी थी उसका सामान भी चले जाने की उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने आहत अशोकसिंह को पहचानने से भी इन्कार करते हुए कथानक का समर्थन नहीं किया है। और प्र0पी0-17 का पुलिस कथन देने से इन्कार किया है। इस प्रकार से उक्त साक्षी के द्वारा ही घटना का समर्थन नहीं किया गया है और चंद्रभूषण शर्मा अ0सा0-23 ने भी बस से ग्वालियर से भिण्ड की ओर आना तो बताया है जिसे कण्डक्टर रायसिंह चला रहा था और वह बस के अंदर गेट के पास खड़ा था। लेकिन उसके सामने कोई हादसा होने से उसने इन्कार किया है। फायर किस व्यक्ति ने किया इस बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है जिसके अभिसाक्ष्य में कथानक अनुरूप कोई समर्थन कतई नहीं किया गया है।
21. पटवारी कदमसिंह अ0सा0-8 ने दिनांक 14.03.03 को प्र0पी0-11 का नजरीय नक्शा तैयार करना बताते हुए घटनास्थल ग्राम बिरखड़ी के हलका नंबर-32 का बताया है। वह भी औपचारिक स्वरूप का साक्षी है।
22. अन्य परीक्षित साक्षियों में से विचाराधीन आरोपी कल्लू उर्फ करू खॉ से संबंधित दस्तावेज प्र0पी0-3, 6, 9, 15, 15 ए, और 21 के दस्तावेज और उनसे

संबंधित साक्षी विचाराधीन आरोपी से संबंधित हैं जिनमें से अभियोजन की ओर से प्र०पी०-3 एवं 6 से संबंधित साक्षी जण्डैलसिंह अ०सा०-1 को परीक्षित कराया गया है। किन्तु उसने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में पक्ष विरोधी होते हुए अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है और वह पूर्णतः पक्ष विरोधी रहा है। उसने विचाराधीन आरोपी कल्लू उर्फ करू खों को पुलिस हिरासत में पूछताछ करने पर प्र०पी०-3 का मेमोरेण्डम कथन देने तथा उसके आधार पर प्र०पी०-6 के जप्ती पत्रक मुताबिक रूपयों की जप्ती से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। इस बात से भी इन्कार किया है कि कल्लू के कब्जे से तीन हजार रुपये पुलिस ने जप्त किये थे बल्कि वह पुलिस द्वारा कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लेना और पुलिस के दबाव में हस्ताक्षर करना बताता है। दूसरे पंच साक्षी कैलाश अ०सा०-20 ने भी पक्ष विरोधी होते हुए प्र०पी०-3 व 6 के संबंध में अ०सा०-1 की तरह ही साक्ष्य दी है और पुलिस कोई कथन देने से इन्कार किया है। इस तरह से प्र०पी०-3 व 6 के दोनों पंच साक्षियों का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है।

23. प्र०पी०-3 व 6 की कार्यवाही ए०एस०आई० कृपालसिंह यादव के द्वारा की जाना बताई गई है और इस संबंध में ए०एस०आई० कृपालसिंह यादव अ०सा०-18 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 09.06.02 को थाना गोहद चौराहा में पदस्थ रहना बताते हुए अप०क्र०-42/02 की विवेचना प्राप्त होने पर आरोपी कल्लू का पुलिस हिरासत में लेना और पूछताछ करने पर उसके द्वारा प्र०पी०-3 का मेमोरेण्डम कथन देने पर तैयार करना कहा है तथा यह भी कहा है कि उक्त दिनांक को ही आरोपी कल्लू के कब्जे से तीन हजार रुपये की जप्ती कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०-6 बनाया था जिसके संबंध में उक्त विवेचक ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिनांक 09.06.02 से 114.06.02 तक उक्त अपराध की विवेचना उसके पास रही थी और दिनांक 06.06.02 से 09.06.02 तक विवेचना थाना प्रभारी के पास रही और उनके द्वारा कार्यवाही की गई थी। उसका यह भी कहना है कि प्र०पी०-3 के मेमोरेण्डम के बाद आरोपी के घर पर गया था और जप्ती हुई थी। जप्ती मकान से हुई थी। मकान में प्रवेश करने के पूर्व उसने अपनी कोई तलाशी का पंचनामा नहीं बनाया था। आरोपी कल्लू ने स्वयं चलकर माल बरामद करवाना कहा था। लेकिन उसे यह जानकारी नहीं है कि उसके मकान में कितने कमरे चलकर वह भीतर गया था और किस कमरे के किस भाग से बरामदगी की तथा आरोपी के मकान में कौन कौन निवास कर रहा था। प्रकरण में प्र०पी०-3 एवं 6 की कार्यवाही से संबंधित कोई रोजनामचासन्हा भी पेश नहीं किया है। ऐसे में पंच साक्षियों के समर्थन न करने के आधार पर विवेचक अ०सा०-18 के अभिसाक्ष्य से प्र०पी०-3 एवं 6 के दस्तावेज संदेह से परे प्रमाणित नहीं होते हैं तथा जो तीन हजार रुपये की जप्ती प्र०पी०-3 के आधार पर बताई गई है उनमें पांच पांच सौ के छः नोट लिखे हुए हैं लेकिन उसका कोई अन्य विवरण नहीं है और जण्डैलसिंह व कैलाश चन्द्र ने तो स्पष्ट रूप से उक्त कार्यवाही से इन्कार किया है। ऐसे में अ०सा०-18 के अभिसाक्ष्य को विचाराधीन आरोपी के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है।

24. विवेचना के दौरान प्र०पी०-9 का धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन भी आरोपी कल्लू खों का बताया गया है जिससे संबंधित पंच साक्षी जगदीश प्रसाद और हिमकेश हैं। जगदीश प्रसाद को अ०सा०-4 के रूप में और

हिमकेश को अ0सा0-19 के रूप में परीक्षित कराया गया है। दोनों ही साक्षियों ने प्र0पी0-9 के दस्तावेज के बाबत अभियोजन के कथानक बाबत कोई समर्थन नहीं किया है। और वह दोनों ही पक्ष विरोधी हैं। उन्होंने आरोपी को पहचानने या उसके द्वारा कोई भी जानकारी पुलिस को देने से इन्कार किया है। प्र0पी0-9 की कार्यवाही भी ए0एस0आई0 कृपालसिंह यादव अ0सा0-18 के द्वारा किया जाना बताई गई है जिसने प्र0पी0-9 की कार्यवाही दिनांक 12.06.02 की बताई है जिसके संबंध में पैरा-11 में यह कहा है कि प्र0पी0-9 में उल्लेखित दिनेश सोनी से पूछताछ इसलिये नहीं की गई थी क्योंकि आरोपी बाद में अपनी बात से पलट गया था। इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी ने कोई जानकारी नहीं दी और कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लिये। प्र0पी0-9 से संबंधित कोई भी रोजनामचासन्हा प्रकरण में पेश नहीं किया गया है इसलिये उसे भी अ0सा0-18 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है क्योंकि पंच साक्षियों से कोई समर्थन प्राप्त नहीं है।

25. प्र0पी0-15 आरोपी कल्लू खॉ की गिरफ्तारी का पंचनामा है जिससे संबंधित साक्षी हरनारायण अ0सा0-12 ने भी प्र0पी0-15 पर केवल अपने हस्ताक्षर बताये हैं। पुलिस द्वारा आरोपी कल्लू को गिरफ्तार किये जाने से इन्कार किया है। प्र0पी0-15 की कार्यवाही तत्कालीन थाना प्रभारी महेश श्रीवास्तव अ0सा0-24 के द्वारा की जाना बताई गई है। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-15 के संबंध में अ0सा0-24 की प्रतिपरीक्षा में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये हैं इसलिये प्र0पी0-15 की गिरफ्तारी प्रमाणित होती है। किन्तु गिरफ्तारी मात्र प्रमाणित होने से विचाराधीन आरोपी की अभियोजन के द्वारा बताई गई घटना में संलिप्तता निर्धारित नहीं की जा सकती है।
26. प्र0पी0-15 ए के रूप में दिनांक 07.06.02 को थाना प्रभारी महेश श्रीवास्तव के द्वारा लिये गये मेमोरेण्डम कथन से संबंधित साक्षी अरविन्द अ0सा0-15 ने कोई समर्थन नहीं किया है और वह पक्ष विरोधी है जिसके संबंध में थाना प्रभारी महेश श्रीवास्तव अ0सा0-24 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि प्र0पी0-15 ए का मेमोरेण्डम कथन कल्लू खॉ ने उसे दिया था। इसके संबंध में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं हुई है। इसलिये प्र0पी0-15 ए का मेमोरेण्डम कथन अ0सा0-24 की अभिसाक्ष्य से अवश्य प्रमाणित माना जा सकता है जिसमें इस आशय की जानकारी दी गई थी कि उसे जो हिस्से में रुपये मिले थे, उसमें से 12000/-रुपये रामवीर भदौरिया कण्डक्टर को उसने दिये थे किन्तु उन रुपयों से संबंधित कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है और उससे लूट की कड़ी नहीं जुड़ती है। इसलिये उससे विचाराधीन आरोप के संबंध में कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं होता है।
27. अन्य परीक्षित साक्षियों में से ओमप्रकाश शर्मा अ0सा0-6 प्र0पी0-10 से संबंधित साक्षी है तथा आर्म्स क्लर्क विजयकांत शर्मा अ0सा0-10 प्र0पी0-13 से संबंधित साक्षी है जिनका आरोपी से कोई संबंध सरोकार नहीं है इसलिये उनके अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
28. घटना के विवेचक टी0आई0 महेश श्रीवास्तव अ0सा0-14 ने दिनांक 20.04.02 को थाना गोहद चौराहा प थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ रहना बताते हुए अप0क्र0-42/02 में घटनास्थल का मौके पर जाकर निरीक्षण कर प्र0पी0-25

का नक्शामौका तैयार करना बताया है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं जिससे यह तो प्रमाणित होता है कि घटना डकैती प्रभावित क्षेत्र में भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर घटित हुई थी। किन्तु उसमें आरोपी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त रहा हो, इस संबंध में कोई अभिसाक्ष्य नहीं है। इसलिये अपराध के प्रमाणन में कोई सहायता नहीं मिलती है।

29. घटना के संबंध में नरेन्द्रपालसिंह अ०सा०-25 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 19.04.02 को वह यातायात पुलिस भिण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। तब उसने दिनांक 20.04.02 को थाना सिटी कोतवाली भिण्ड की जीरो पर कायम प्र०पी०-27 की एफ०आई०आर० असल कायमी हेतु थाना गोहद चौराहा पर लाकर पेश की थी जिसके आधार पर थाना गोहद चौराहा में अप०क्र०-42/02 की प्र०पी०-28 की एफ०आई०आर० दर्ज की गई थी जिसका समर्थन करते हुए भारतसिंह अ०सा०-26 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह दिनांक 20.04.02 को थाना गोहदचौराहा पर प्र०आर० के पद पर पदस्थ था। और सिटी कोतवाली भिण्ड से प्र०आर० नरेन्द्रपालसिंह द्वारा लाई गई एफ०आई०आर० पर से उसने प्र०पी०-28 की कायमी की थी। तथा सीलबंद पोटली प्रस्तुत किये जाने पर उसे प्र०पी०-29 के द्वारा जप्त किया गया था। इस तरह से उक्त साक्षी भी औपचारिक स्वरूप के हैं और मूल कथानक का समर्थन न होने से प्र०पी०-28 की एफ०आई०आर० को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

30. इस प्रकार उपरोक्त समग्र साक्ष्य तथ्य परिस्थितियों के मूल्यांकन के पश्चात अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि दिनांक 19.04.02 को ग्राम बिरखड़ी के पास गुजराती ट्रान्सपोर्ट की बस में जाते समय व्यापारी अशोक कुमार सिंह के साथ लूट की घटना घटित हुई थी किन्तु उससे विचाराधीन आरोपी का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध होना या उसकी सहभागिता होना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। फलतः आरोपी कल्लू उर्फ करू खॉ के विरुद्ध भी मामला संदिग्ध है जिसका लाभ न्यायिक रूप से आरोपी करूखॉ उर्फ कल्लू पाने का पात्र है अतः आरोपी करूखॉ उर्फ कल्लू को संदेह का लाभ दिया जाकर धारा 392/34, 394/34, 397/34, 307/34 भादवि सहपठित धारा-11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

31. आरोपी कल्लू उर्फ करू खॉ न्यायिक निरोध में है अतः उसके जेल वारण्ट पर यह नोट लगाया जावे कि आरोपी को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है अतः यदि उसकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल इस प्रकरण में रिहा किया जावे।

32. प्रकरण में जप्तशुदा एक सीलबंद कपड़ों की पोटली, कांच के टुकड़े, रैगजीन के दो टुकड़े अपील अवधि उपरान्त नष्ट किये जावें। एक राउण्ड का खोखा 315 बोर का, एक देशी कट्टा 315 बोर का, एवं 4 राउण्ड 315 बोर के अपील अवधि उपरान्त विधिवत निराकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड की ओर भेजे जावें एवं प्रकरण में जप्तशुदा कुल 7,000/-रुपये (सात हजार रुपये) अपील अवधि उपरान्त मामले के फरियादी/आहत अशोक जैन को वापिस किये जावें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

33. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 13/01/2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपकरण सामान्य)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपकरण सामान्य)